।। कार्यालय उपाधीक्षक जिला कारागृह बॉसवाड़ा ।।

Email – ic.jail.banswara@gmail.com TEL/FAX No-02962-242785

क्रमांक:– कारा. / स0पोर्टल / 2020 / 413 दिनांक :– 29/10/20

श्रीमान उप महानिरीक्षक,
कारागार रेंज उदयपुर।

विषय :– सर्म्पक पोर्टल पर दर्ज परिवाद के संबंध में।
प्रसंग :– श्रीमान के कार्यालय का पत्रांक 7823 दिनांक 29.10.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर जिला कारागृह बॉसवाडा से सबंधित दिनांक 29.08.2020 को राजस्थान पत्रिका के जयपुर संस्करण में प्रकाशित खबर शीर्षक " बंदी ने दिया परिवाद रिपोर्ट बनाने में जुटा प्रशासन" के संबंध में श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा सर्म्पक पोर्टल पर दर्ज किये गये परिवाद के संबंध में रिपोर्ट चाही गई है।

उक्त के संबंध में निवेदन है कि जिला कारागृह बॉसवाडा में निरूद्ध बंदी प्रकाश पुत्र लाला द्वारा दिनांक 26.08.2020 का लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 27.08.2020 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिसमें बंदी प्रकाश पुत्र लाला ने श्री चन्दुलाल डामोर मुख्य प्रहरी नं. 1414 द्वारा दिनांक 20.08.2020 को महिला वार्ड में निरूद्ध महिला बंदी शर्मिला पुत्री लाल जी (बंदी अनुसार पत्नी) के साथ अभद्र व्यवहार करने तथा गलत हरकत करने के संबंध में शिकायत की गई। बंदी प्रकाश पुत्र लाला द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा श्रीमान उप महानिरीक्षक कारागार रेंज उदयपुर को दुरभाष पर सूचना दी गई। श्रीमान द्वारा दिये गये दुरभाष आदेशों की पालना में अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्राप्त शिकायत के संबंध में जॉच कि गई। बंदी द्वारा प्रस्तुत शिकायत की जॉच के दौरान कारागृह में निरूद्ध समस्त महिला बंदियों (महिला बंदी शर्मिला पुत्री लाल जी सहित), ड्यूटी प्रहरियों, बंदी प्रकाश पुत्र लाला एंव श्री चन्दुलाल डामोर मुख्य प्रहरी नं. 1414 के बयान लिये गये। बंदी प्रकाश पुत्र लाला द्वारा अपने बयानो में गुस्से और आवेश में होने के कारण शिकायत करना स्वीकार किया गया तथा बंदी शर्मिला पुत्री लाल जी (बंदी प्रकाश अनुसार पत्नी) द्वारा अपने बयानों में शिकायत में प्रस्तुत घटना उसके साथ होने से इंकार किया है तथा अन्य साथी महिला बंदियों ने भी अपने बयानों में बंदी प्रकाश शिकायत को असत्य बताया है। अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बंदी प्रकाश पुत्र लाला द्वारा कि गई शिकायत के संबंध में जॉच कर जॉच रिपोर्ट मय बयानो एंव तथ्यों के इस कार्यालय के पत्रांक 263–64 दिनांक 28.08.2020 के द्वारा श्रीमान महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर एंव श्रीमान उप महानिरीक्षक कारागार रेंज उदयपुर को भिजवाई गई।

अतः श्रीमान के प्रासांगिक पत्र द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर जिला कारागृह बॉसवाडा से सबंधित दिनांक 29.08.2020 को राजस्थान पत्रिका के जयपुर संस्करण में प्रकाशित खबर शीर्षक " बंदी ने दिया परिवाद रिपोर्ट बनाने में जुटा प्रशासन" के संबंध में श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा सर्म्पक पोर्टल पर दर्ज शिकायत के संबंध में चाही गई रिपोर्ट तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय
29/10/20
उपाधीक्षक
जिला कारागृह बांसवाड़ा

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल फाईल

Scanned with CamScanner